

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु कैम्प सोमासी
पीठासीन अधिकारी श्री उगमसिंह राजपुरोहित, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या: /2023

दिनांक :- 28.06.2023

राजस्थान सरकार


अनुवानी

करणीसिंह आदि

आदेश

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए., पक्षकारों की आपसी सहमति, रिपोर्ट पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक व अभिशंसा तहसीलदार चूरु के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चूरु को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न मौके के अनुसार पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। आदेश प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 कैम्प सोमासी के मजमे आम में सुनाया गया।

यह आदेश आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।


(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी, चूरु
एवं शिविर प्रभारी,
प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2023, चूरु

